वर्ष 2017–18 का प्रगति प्रतिवेदन

एवं

वार्षिक कार्य योजना 2018–19

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

झारखण्ड सरकार

विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्राप्त किये गये पुरस्कार/सम्मान का ब्यौरा –

1. E-Governance Initiative Award, 2005
2. Silver Icon Award, 2006 for Vahan
3. CSI-e- Nilhant Award for Best e-Governance, 2007.
4. e-India 2008 Award for Exhibitor
5. Best e-Governance Award for Integrated Prison Management System, 2008
6. The Manthan Award, Celebration of e-Content and Development in South Asia
7. Silver Icon for Best Content Management in National Portal Award, 2010
8. Web Ratna Award, 2009
9. National e-Governance Award – Financial Inclusion (CSC Banking Services)-2012
10. Silver Award for EBT through BC Model at Pragya Kendras
11. e-India 2013 for e-District for Electronic Service Delivery of Citçen Centric Services in Ranchi.
12. SKOCH Award for Emerging State Jharkhand 2013.
13. SKOCH award for e-Kalyan, e-Nibandhan, Co-Operative, File Traker,
14. IGF Award for e-Rahat 2014
15. SKOCH Award 2013 for e-Panchayat application.
16. World Bank Audit-Ease of Doing Business – Enabled Jharkhand to secure 3rd Rank.

मांग संख्या – 45

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (लाख में)	विशेष अंगीभूत योजना	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (लाख में)	कुल (लाख में)
राज्य योजना व्यय	9113.38	10.4	9676.22	18800
केन्द्रीय योजना व्यय			200	200
स्थापना व्यय			172.57	172.57
			कुल	**19172.57**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग का उद्देश्य

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग स्वतंत्र रूप से 12 जून 2003 से कार्य कर रहा है। इसके पहले सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा था। विभाग का विधिवत गठन मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–2576, दिनांक 17 सितम्बर, 2004 के माध्यम से किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग के प्रमुख दायित्व निम्न प्रकार है –

क) राज्य की आवश्यकताओं पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं के विकास हेतु नीति का निर्धारण।

ख) प्रदेश में आई0टी0 उद्योगों की स्थापना, पूंजी निवेश, निर्यात इत्यादि को प्रोत्साहित करना तथा आई0टी0 उद्योग एवं आई0टी0 एनेबल्ड सर्विसेज को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्य तथा सिंगल विंडो प्रणाली लागू करना, विभिन्न उद्यमी संगठनों से समन्वय, सब्सिडी इत्यादि।

ग) प्रदेश में आई0टी0 को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों का गठन एवं इनके शासन स्तरीय समस्त कार्य।

घ) प्रदेश में आई0टी0 से संबंधित आधारभूत संरचनाओं तथा नेटवर्किंग/सामुदायिक सूचना केन्द्र इत्यादि का विकास।

ङ) प्रदेश में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग योजनाओं का क्रियान्वयन।

च) बायो टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/इंफोटेक सिटी/इंफोटेक बिल्डिंग इत्यादि से संबंधित कार्य।

छ) ई–गवर्नेंस से संबंधित एप्लिकेशन का विकास एवं उपयोग।

ज) विभिन्न सरकारी विभागों/निगमों का कम्प्यूटरीकरण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

झ) प्रदेश में इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु संस्थाओं को तैयार करना।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों का बजटीय उपबंध तथा खर्च ब्यौरा निम्नवत् है –

वित्तीय वर्ष	योजना–गैरयोजना कुल उपबंध (करोड़ में)	योजना–गैरयोजना कुल खर्च ब्यौरा (करोड़ में)
2013-14	99.50	86.24
2014-15	121.77	60.78
2015-16	123.44	107.10
2016-17	184.38	148.68
2017-18	180.31	74.25

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग से संबंधित संस्थाएँ

1. जैप–आई0टी0 (JAP-IT)

भारत सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण ई–गवर्नेंस (e-Governance) परियोजनाओं का क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को एक स्वायत संस्था के द्वारा ही किए जाने के दिशा निदेश के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग के अधीन जैप–आई0टी0 (झारखंड एजेंसी फॉर प्रोमोशन ऑफ इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी) का गठन किया गया है। जैप–आई0टी0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग के अन्तर्गत एक निबंधित संस्था है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग द्वारा जैप–आई0टी0 का गठन दिनांक 29.03.2014 को किया गया है तथा यह सोसाईटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना है एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में ई–गवर्नेंस लागू करना है। इसके द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवायें विकसित कर क्रियान्वित की जा रही है यथा – झारनेट, ई–प्रोक्यूरमेंट, ई–मुलाकात, ई–निबंधन, ई–कोर्ट, ई–जिला, ई–नागरिक, पोर्टल का विकास, ई–कल्याण, फाईल ट्रेकर, ई–ऑफिस, OASYS इत्यादि।

2. झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (JSAC) - झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, रांची की स्थापना वर्ष 2003 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखंड सरकार के अन्तर्गत इसरो, भारत सरकार के सहयोग से किया गया है। केन्द्र के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है –

1. अंतरिक्ष तकनीक के सहारे सम्पूर्ण राज्य का प्राकृतिक संसाधनों का आकलन एवं मानचित्रीकरण करना।
2. अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग के क्षेत्र में सुदूर संवेदन (Remote Sensing), भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS), भूमण्डलीय स्थानीकरण तंत्र (GPS) तथा उपग्रह सम्पर्क (Satellite Communication) के सहारे राज्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

इसके द्वारा रिमोट सेंसिंग तथा जी.आई.एस प्रणाली का उपयोग करते हुए लगभग 85 थिमेटिक लेयर विकसित किए हैं, जिसका उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा योजना हेतु किया जा रहा है।

जेसैक द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली परियोजना पर कार्य किया गया है, जिसमें भू–अभिलेख नक्शा, टोपोग्राफी, भूमि के उपयोग, भूमि की जल निकासी, मिट्टी की किस्म, भूमि की उर्वरता, वन, जंगल संग्रहण, खनिज, खदान एवं जनसंख्या संबंधी डाटा से संबंधित लेयर्स तैयार किए गए हैं। इस प्रणाली में 85 लेयर्स हैं। राज्य की भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग अनेक महत्वपूर्ण विभागों द्वारा किया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) -झारखंड राज्य की स्थापना के बाद से राज्य मुख्यालय एवं 22 जिलों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लगातार महत्वपूर्ण सेवाएं देता आ रहा है। प्रारंभ में मंत्रालयों, सचिवालयों, विधानसभा एवं राजधानी अवस्थित सभी प्रमुख भवनों की नेटवर्किंग, इंटरनेट की सुविधा, सभी जिलों, सभी मान्नीय मंत्रियों एवं सचिवों के कक्ष में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का नेटवर्क एवं राज्य की अधिकृत वेबसाइट के निर्माण में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा। एन.आई.सी. के राज्य मुख्यालय (नेपाल हाउस) में विडियो कॉन्फ्रेसिंग स्टूडियो, सुरक्षा के मानकों पर आधारित आधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना एवं जिला स्तर तक 34Mbps गति तक की तीव्र नेटवर्क संरचना (NICNET) के विकास से भी राज्य की सूचना तकनीक की संरचना सुदृढ़ हुई। कालांतर में इस संस्था के द्वारा सूचना तकनीक के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किये गये यथा – ट्रेजरी कम्प्यूटरीकरण, सी0ओ0बी0टी0,

जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधन एवं लाइसेंसों का कम्प्यूटरीकरण, वैट कम्प्यूटरीकरण, ई–सेवाओं (ई–रिटर्न, ई–पेमेंट, ई–निबंधन, ई–फॉर्म), ई–प्रोक्यूरमेंट, ई–मुलाकात इत्यादि।

4. **स्टेट ई–गवर्नेंस मिशन टीम (SeMT):** SeMT का गठन मुख्यतः राज्य की ई–गर्वनेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्णकालिक आंतरिक परामर्शी के रूप में किया गया है। इस दल द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन, तकनीकि, प्रक्रिया, बाह्य एजेंसी प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन एवं परिवर्तन प्रबंधन आदि मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है।

विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारनेट, प्रज्ञा केन्द्र, जेलों में विडियो कॉफ्रेंसिंग की सुविधा, न्यायालयों में कैदियों की सुनवाई की सुविधा, कम्प्यूटरीकृत भूमि निबंधन, कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण, साथ ही, ई–नागरिक एवं ई–डिस्ट्रिक्ट द्वारा आम जनता को दिये जाने वाली सेवाओं का ऑनलाईन प्राप्ति एवं निर्गत यथा – जाति, आय, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि का निष्पादन। इन सुविधाओं से आम जनों को काफी हद तक सुविधायें प्राप्त हुई है। कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्न प्रकार है :–

1. आम नागरिकों को ई–नागरिक सुविधा के तहत् जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आदि पंचायतों में स्थापित आम सेवा केन्द्र (प्रज्ञा केन्द्र) के द्वारा सुविधायें दी जा रही है। इन प्रज्ञा केन्द्रों के द्वारा उन्हें बैंकिंग सेवा एवं अन्य ई–गवर्नेंस सेवायें प्रदान की जा रही है।
2. राज्य के सभी निबंधन कायालयों को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है ऐसे में संबंधितों को निबंधन संबंधी दस्तावेज, निबंधन को तिथि को ही उपलब्ध करा दिये जाते हैं।
3. राज्य के जिला न्यायालयों एवं जेलों में विडियों कॉफ्रेंसिंग की व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। इन दिनों कैदियों को दैनिक रूप से न्यायालय भेजने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनकी सुनवाई विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से सीधे तौर पर हो जाती है।
4. राज्य सरकार के विभागों में ई–प्रोक्योरमेंट योजना लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से कोई योग्य निविदादाता देश अथवा विदेश के किसी भी कोने से अपनी निविदा डाल सकते हैं। ऐसा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से संभव हो पाता है।
5. राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार कम्प्यूटरीकृत कर दिये गये हैं। राज्य के सभी कोषागारों एवं उपकोषागारों से सभी आंकड़े सीधे स्टेट डाटा सेंटर को प्राप्त हो जाते हैं। राज्य कर्मियों के भविष्य निधि लेखा हमेशा Online उपलब्ध रहते हैं। अब सभी कोषागारों/उप कोषागारों द्वारा किये जा रहे वित्तीय लेन–देन को कुछ पलों में ही देखा जा सकता है। नये कम्प्यूटर एवं उससे संबंधित उपकरणों के स्थापन से इन कोषागारों के कार्य–कलाप काफी सरल हो गये हैं।
6. राज्य के जिला एवं अनुमंडलीय काराओं में सी0सी0टी0वी0 का अधिष्ठापन कर दिया गया। इन आईपी कैमरों के अधिष्ठापन से मुख्य रूप से मुलाकातियों एवं अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है। ई–मुलाकात योजना के तहत् विडीयों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों एवं उनके मुलाकातियों के बीच ऑफ साईट मुलाकात की सुविधा प्रदान की जा रही है।
7. NKN एवं झारनेट– NIC Net का झारनेट के साथ समागम इस योजना से झारनेट नेटवर्क के रोर्बटनेश एवं रिडनडेंसी बढ़ी है और इससे विडीयों कॉफ्रेंसिंग एवं अन्य सेवाओं का विस्तार भी संभव हो पाया है।
8. गजट के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन को बाध्यकारी कर दिया गया है। 10 दिसम्बर 2012 से कागजी प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी है।
9. इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायी नियम 2013 का प्रकाशन कर सेवाओं के ऑनलाईन प्रदायिता को बाध्यकारी कर दिया गया है तथा सरकार के सभी विभागों एवं संगठनों को इसे सख्ती से लागू करने का निदेश दिया गया है।

10. झारखण्ड स्पेश एप्लिकेशन सेंटर (JSAC) द्वारा सम्पूर्ण राज्य के गांवों का प्रोफाईल एवं जियो डाटावेस (Geo Database) का संधारण किया जा रहा है।
11. झारखण्ड स्पेश एप्लिकेशन सेंटर द्वारा राज्य में जल की कमी को देखते हुए त्वरित निर्णय अविलम्ब पद्धति द्वारा संबंधित विभागों एवं नागरिकों को ग्राउण्ड वाटर प्रोसपेक्ट मेप द्वारा ऑनलाईन सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि जल दुर्लभता के तहत् समुचित कार्रवाई की जा सके।
12. झारखण्ड स्पेश एप्लिकेशन सेंटर द्वारा समग्रित भूमि अभिलेखों यथा – खतिआन, राजस्व नक्शे आदि का ऑनलाईन संधारण किया जा रहा है।
13. झारखण्ड स्पेश एप्लिकेशन सेंटर द्वारा सेटेलाईट आधारित फसल की स्थिति का अनुश्रवण ऑनलाईन किया जाता है।
14. झारखण्ड स्पेश एप्लिकेशन सेंटर द्वारा ई–पंचायत के माध्यम से जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तरीय डिजिटल आंकड़े विकसित कर रखे गये हैं।
15. **मानव संपदा प्रबंधन व्यवस्था (HRMS) –** हिमांचल प्रदेश सरकार की तर्ज पर राज्य में मानव संसाधनों के समुचित प्रबंधन हेतु मानव संपदा–ए ग्रीन गवर्नेंस टूल द्वारा समुचित प्रबंधन किया जा रहा है। वर्तमान में सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इसे अनुपालित एवं संचालित किया जा रहा है।
16. **उपस्थिति व्यवस्था –** राज्य में दि0 01.01.14 से सभी सरकारी संस्थानों यथा – प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, एफ.एफ.पी. भवन, रेवेन्यू बोर्ड, ए.टी.आई. भवन, वन भवन, सूचना भवन, सभी उपायुक्तों के कार्यालय, सभी प्रमंडल अंचल कार्यालय, सभी सरकारी अस्पतालों एवं अन्य सरकारी संस्थानों में आधार आधारित उपस्थिति संधारण की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था में यू0आई0डी0ए0आई0 के आधार सत्यापन व्यवस्था को उपयोग में लाया जाता है। यह व्यवस्था विंडोज, एनड्रॉयड आदि बहुवैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है। इसका संधारण अत्यंत आसान है। इस व्यवस्था से कर्मियों की उपस्थिति, अवकाश प्रबंधन, फर्जी उपस्थिति पर रोक आदि में सहायता मिलती है।
17. **विधि विभाग एवं महाधिवक्ता कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण –** यह देश का पहला सॉफ्टवेयर है जिससे न्यायालयों में दायर वादों का अंकीकरण संभव हो जाता है। राज्य के सभी विभाग vidhi.jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन दायर वादों, वाद की स्थिति अथवा न्यायादेशों का अवलोकन कर सकते हैं अथवा उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल में ऑनलाईन शपथ–पत्र प्रबंधन प्रणाली की भी व्यवस्था है।
18. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से राज्य में झारखंड इनोवेशन लैब की स्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. **कॉमन सर्विस सेंटर –** वर्तमान में पूरे राज्य में कुल 11202 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर हैं। जिनमें से 8171 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 3031 शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। 01 जनवरी, 17 से 31 दिसम्बर, 17 तक कुल 4580271 प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन प्राप्त किये गये हैं।
2. **पी0एम0जी0 दिशा –** मार्च 2017 से आरम्भ की गयी इस परियोजना के आलोक में भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 180300 अभ्यर्थियों को डिजीटल साक्षर बनाने हेतु लक्ष्य प्रदान किया गया था। इस क्रम में झारखंड 937003 छात्रों के पंजीयन तथा 406981 सत्यापित छात्रों के साथ पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा।
3. **कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) –** झारखण्ड राज्य के सभी कार्य विभागों (यथा : DWSD, RCD, RDD, BCD, excluding वन एवं पर्यावरण विभाग) में कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। सभी कार्य विभाग के संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी EE, JE, AE & DAO को इस सॉफ्टवेयर के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, इन्हें विभाग द्वारा TAB उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर में e-MB भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसे कोषागार, महालेखाकार कार्यालय एवं UCAN के साथ भी संबद्ध कर दिया गया है। सभी कार्य विभाग उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से विपत्र तैयार कर प्रत्येक माह महालेखाकार कार्यालय को लेखा समर्पित कर रहे हैं।
4. **STPI** - झारखण्ड राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में Software Technology Parks of India (STPI) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य Software Industry को उत्कृष्ट अवसंरचना प्रदान करना है। इसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आदित्यपुर, देवघर एवं सिन्दरी में Software Technology Parks of India (STPI) केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा। बोकारो में उक्त केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है तथा इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।
5. **मोबाईल टावर और OFC हेतु ऑनलाईन आवेदन** – इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में OFC बिछाने हेतु RoW की स्वीकृति तथा संचार मीनार अधिष्ठापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु एक ऑनलाईन वेब आधारित समाधान प्रदान करना है। इस प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाईन प्रस्ताव, प्रसंस्करण और अंतिम स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रणाली में ही प्रस्ताव बनाना तथा आवेदन किये जाने का प्रावधान है तथा प्रस्ताव ट्रेकिंग, उपयोगकर्त्ता प्रोफाईल, सहायता, प्रतिक्रिया, आम प्रश्नों तथा सम्पर्क विवरणी का भी प्रावधान है। JSAC द्वारा उक्त सॉफ्टवेयर विकसित कर इसे ऑनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में विभिन्न टेलिकॉम सेवा/संरचना प्रदाताओं से कुल 653 आवेदन प्राप्त किये गये हैं जिसके विरुद्ध 442 अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं।
6. **SMS Gateway -** झारखण्ड सरकार कई क्षेत्रों में नागरिकों को Online सेवा उपलब्ध कराने के लिए Applications तैयार कर रही है जैसे भूमि, शादी एवं समितियों का निबंधन, वाणिज्यकर निबंधन एवं भुगतान, e-District परियोजनाओं के माध्यम से जिला स्तरीय सेवाएँ, कोषागार इत्यादि। इन सभी सेवाओं के क्रम में नागरिकों को उनके आवेदन की सूचना देने की आवश्यकता होती है जिसके तहत् SMS Gateway की आवश्यकता हेाती है। इसके तहत् उनके आवेदन की सूचना SMS के माध्यम से उनके Mobile पर भेजी जाती है।
7. **Skill Development -** राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य के SC/ST छात्र एवं छात्राओं को रोजगार योग्य बनाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस निमित NIELIT द्वारा राज्य के दस जिलों यथा गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला–खरसावॉ, रामगढ़, चतरा, दुमका,

पाकुड़ एवं जामताड़ा जिलों में कुल 600 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाना है जिसमें से 440 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी प्रकार C-DAC द्वारा रामगढ़ एवं धनबाद जिलें में कुल 640 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाना है जिसमें से 246 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

8. **सिटी वाई–फाई (City Wi-Fi) –** इस परियोजना के तहत् सभी 24 जिला मुख्यालयों को वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायगी। इस क्रम में BSNL से प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। इसके वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। सारे जिला मुख्यालय को Wi-Fi की सुविधा दी जायेगी।
9. **आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 आधारित निवेश प्रोत्साहन –** झारखंड राज्य में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 आधारित निवेश प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित चार नीतियाँ सृजित की गयी है जिसे मुम्बई में दिनांक 20.09.2016 को एक रोड शो कर इसे लॉन्च किया गया है :
    1. IT/ITeS Policy-2016
    2. ESDM Policy-2016
    3. BPO/BPM Policy-2016
    4. Startup Policy-2016

    उक्त नीतियों के आधार पर संबंधित औद्योगिक संस्थानों को कॉमन डिस्बर्समेंट निर्देशिका के तहत् प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
10. **भारतनेट –** यह परियोजना प्रथम चरण में BBNL द्वारा झारखंड के सात जिलों यथा – राँची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, देवघर एवं साहेबगंज में शुरू की जा चुकी है (1417 ग्राम पंचायत में से 1306 ग्राम पंचायत में OFC बिछा दी गयी है) तथा कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। चरण–1+ भी छः जिलों यथा – धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में शुरू की जा चुकी है। भारतनेट दितीय चरण में सम्मिलित शेष ग्यारह जिलों में परियोजना का कार्य शुरू करने हेतु एजेन्सी के चयन के लिए दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के आधार पर निविदा प्रकाशित की जा चुकी है तथा शीघ्र ही एजेन्सी का चुनाव कर परियोजना के कार्य को शुरू किया जायेगा।
11. **साईबर सुरक्षा –** इस परियोजना के तहत झारखंड में एक झारखण्ड साईबर कॉ–ऑडिनेशन सेंटर (JharCert) की स्थापना हेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। इस संबंध में C-DAC से MoU की जा रही है।
12. **स्टार्टअप भेंचर कैपिटल फंड –** इस परियोजना के तहत् टेंडर प्रक्रिया द्वारा एजेंसी GVFL का चयन कर उनके साथ MoU किया गया है। उक्त कार्य वर्तमान में उद्योग विभाग, झारखंड द्वारा किया जा रहा है।
13. **ई–ऑफिस –** झारखंड सरकार पेपरलेस ऑफिस की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। इस निमित्त ई–ऑफिस वेब एप्लिकेशन झारखंड के सरकारी विभागों में कार्यों के अनुरूप कस्टमाईज तथा विकसित की गयी है। इस परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग नोड्ल विभाग है तथा जैप–आई0टी0 इम्पलिमेंटिंग एजेंसी है। ई–ऑफिस वेब एप्लिकेशन को प्रारम्भिक चरण में चार विभागों एवं जिला मुख्यालय, राँची में शुरू किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कार्य–योजना

[A] चालू योजनाएँ (राज्य योजना)

1. **(a) डाटा सेन्टर, लैन एवं पोर्टल का रख–रखाव :** राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के कम्प्यूटरीकरण हेतु जैप–आई0टी0 डाटा सेन्टर का अत्यधिक महत्व है। वर्त्तमान में जैप–आई0टी0 द्वारा 125 से अधिक ई–गवर्नेंस (e-Governance) सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है। यथा–कोषागार, ई–निबंधन, वाणिज्य–कर, JSAC इत्यादि। जैप–आई0टी0 के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलांस (surveillance) कैमरों एवं advanced biometric की मदद से ऑन साईट सिक्योरिटी नेटवर्क इक्विपमेंट (Onsite Security, Network equipments) एवं मैन पॉवर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। झारखंड स्टेट डाटा सेंटर को National DR से जोड़ा जाना है। झारखंड के लिए शास्त्री पार्क, नई दिल्ली स्थित NIC DC को DR site के रूप में चिन्हित किया गया है। NIC द्वारा DR site पर Backend storage उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए राज्य द्वारा अतिरिक्त हार्डवेयर का क्रय किया जाना है।

   (b) स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (झारनेट) : इस परियोजना के अंतर्गत वर्त्तमान में राज्य मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ दिया गया है तथा इससे Voice, Video, Data भेजे जा रहे हैं। सभी जिला मुख्यालयों को अनुमण्डल (Sub-division) मुख्यालयों तथा सभी ब्लॉक को भी जोड़ दिया गया है। राज्य के कुल 1750 कार्यालय को झारनेट से जोड़ा गया है।

   तदनुसार उपर्युक्त परियोजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **रु0 5173.55 लाख** (OSP-2500, TSP-2673.55) प्रस्तावित है।

2. **ई–ऑफिस :** राज्य में विभिन्न विभागों/कार्यालयों को पेपर लेस (paperless) बनाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। पायलट के तौर पर सर्वप्रथम इसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग सहित कुल चार विभागों यथा कार्मिक, उद्योग, ग्रामीण विकास तथा उपायुक्त कार्यालय, राँची में लागू किया गया है तत्पश्चात् इसे सचिवालय स्तर के अन्य विभागों/कार्यालयों तथा जिला में लागू किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 **490.00 लाख** (TSP-290, OSP-200) प्रस्तावित है।

3. **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क :** राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग की आधारभूत संरचना (IT Infrastructure) को विकसित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से STPI साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (Software Technology Park) की स्थापना जमशेदपुर, बोकारो, देवघर एवं धनबाद में की जा रही है। जमशेदपुर, देवघर एवं धनबाद में निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है तथा अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। बोकारो में उक्त केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है तथा इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। अतः वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्माण कार्य तथा परामर्शी शुल्क हेतु कुल **रु0 1000 लाख** (OSP) प्रस्तावित है।

4. **सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण :–**

   क. कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) – राज्य सरकार ने इस प्रणाली को सर्वप्रथम पाँच विभागों यथा–ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता, पथ निर्माण तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली के द्वारा कार्य–विभागों के end-to-end कम्प्यूटरीकरण को ई–प्रोक्योरमेंट के साथ जोड़े जाने में अहम् भूमिका होगी। इसको सीडैक, पुणे

द्वारा विकसित किया गया है। उक्त प्रणाली को कोषागार सॉफ्टवेयर कुबेर के साथ एकीकृत (integrate) किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **रु0 200 लाख** प्रस्तावित है।

ख. **ई–विधान :** आज के मौजूदा डिजिटल युग में अधिक से अधिक सरकारी संगठनों, समूहों और व्यक्तियों को परिवर्तित करने एवं महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए निर्णायक जानकारी साक्षा करने के साथ आसान भण्डारण, त्वरित खोज और सुव्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए e-Vidhan प्रणाली की खोज की गई। परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष उपस्थापित की गयी है। इस वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **रु0 1000 लाख** प्रस्तावित है।

ग. **परमानेंट वेबकास्ट सेटअप एण्ड वेबकास्टिंग सर्विसेस :** सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग द्वारा इस निमित तीन वर्षो के लिए कुल रू0 2,70,43,500 (दो करोड़ सत्तर लाख तैतालिस हजार पांच सौ रू0) मात्र की स्वीकृति पत्रांक–2776 दिनांक 29.09.2016, वार्षिक बजट 90,14,500 (नब्बे लाख चौदह हजार पांच सौ रू0) मात्र के साथ दी गई है। उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए **रु0 90.145 लाख** प्रस्तावित है।

घ. **यूनिफाइड डेटा रिपोजेटरी (यू0डी0आर0) :** यह परियोजना झारखण्ड राज्य में परियोजनाओं की एक Common reporitary एवं संबंधित विभागीय डेटा specific focus के साथ तैयार करने की कल्पना की है, जिसमें झारखण्ड निवासियों को सरकारी लाभ आसानी से दिए जा सकेगें। UDR एक एकीकृत भंडारण और विश्लेषण Data platform होगा, जिससे किसी भी क्षण समग्र सेवा वितरण स्थिति देखकर लाभुक को लाभ उपलबध कराया जा सकेगा। डेटा एनालिसिस एक महत्वपूर्ण सेवा है। साथ ही इसके पास एक Comprehensive reporting engine होगा जो काफी flexible एवं विस्तृत तथा यूजर डिफाइन्ड प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **रु0 100 लाख** प्रस्तावित है।

सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण ईकाई द्वारा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में क्रियान्वित अनेक सॉफ्टवेयर्स यथा – ऑन लाईन एप्वाइंटमेंट सिस्टम, पेमेन्ट गेटवे इत्यादि तथा विडियो कॉफ्रेंसिंग, नवनिर्मित मुख्यमंत्री सभागार के नवीनीकरण, मुख्य सचिव कार्यालय/मुख्यमंत्री कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण एवं Web-Cast/Outdoor Video Van इत्यादि हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 **2056.18 लाख (TSP-1000, OSP-1056.18)** प्रस्तावित है।

5. **कौशल विकास :** राज्य में NIELIT एवं C-DAC द्वारा SC/ST/OBC/Women अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर क्षेत्र में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह राज्य के युवाओं में आधारभूत कम्प्यूटर ज्ञान, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, फोटोग्राफी इत्यादि क्षेत्रों में कौशल विकास करने के साथ–साथ रोजगार सृजित करने के अवसर प्रदान करेगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **रु0 50.00 लाख (TSP-39.6, SCSP-10.4)** प्रस्तावित है।

6. **प्रचार, प्रसार एवं प्रकाशन :** आई0 टी0 के प्रचार, प्रसार एवं आई0टी0 सामग्रियों के प्रकाशनार्थ कुल रु0 **100लाख (TSP)** प्रस्तावित है। इस राशि का उपयोग अन्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सेमिनार/वर्कशॉप इत्यादि में व्यय किया जायेगा।

7. **झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रोमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (JAP-IT) एवं झारखण्ड स्पेश एप्लिकेशन सेन्टर (JSAC) के लिए अनुदान :** जैसेक एवं जैप–आई0टी0 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन निबंधित संस्थायें हैं। उक्त संस्थाओं को स्थापना व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रमशः कुल रु0 **38.16 लाख** (TSP) एवं रु0 **149.8** (TSP) **लाख** प्रस्तावित है।

8. **सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना व्यय :** विभाग में नियुक्त/प्रतिनियुक्त कर्मियों यथा–प्रोग्रामर, हार्डवेयर स्पेशलिस्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर–सह–डाटा इंट्री ऑपरेटर तथा च0व0क0 के वेतनादि हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रमशः कुल रु0 **22.27 लाख** (TSP-22.27) प्रस्तावित है।

9. **जी0आई0एस0 और रिमोट सेंसिंग परियोजनाएं (GIS & Remote Sensing Projects) :** जी0आई0एस0 और रिमोट सेंसिंग स्थानिक डेटाबेस, इवेंट्स, एक्टिविटीज, (GIS & Remote Sensing Spatial Databases, Events, activities) का अनुश्रवण करने हेतु एक माध्यम है।

डिजिटल सर्वे (Digital Survey) परियोजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 **9.5 लाख** (OSP) प्रस्तावित है।

10. **स्टेट ई–गवर्नेंस (SeGP) परियोजनाएँ :**

क) भारत नेट– यह परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टीविटी (High Speed Internet Conectivity) प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग कर ई0–गवर्नेंस, एम0–गवर्नेंस, हेल्थ, ऐजुकेशन, एग्रीक्लचर, टूरिज्म (e-Governance, m-Governance, Health, Education, Agriculture, Tourism) की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जा सके।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित परियोजना डिजीटल विलेज (Digital Village) के तहत सरकार का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विस्तार किया जाना है, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़े क्षेत्रों में हो रहे दिन प्रतिदिन नये प्रयोग और नयी सुविधाओं को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जन समुदाय तक पहुँचाया जा सके।

सर्वप्रथम डिजिटल विलेज पायलेट प्रोजेक्ट (Digital Village Pilot Project) हेतु बोकारो (Bokaro) के कसमार प्रखण्ड का चयन किया गया है, जिसके तहत सरकार के स्तर पर निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेगी।

(i)	ई–एजुकेशन (e-Education)	(ii)	ई–हेल्थ (e-Health)
(iii)	बैंकिग (Banking)	(iv)	स्किल डेवलपमेंट (Skill Development)
(v)	ई–पोस्ट (e-Post)	(vi)	ई –गरन्थालय (e-Garanthalaya)

इन सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर शिक्षा चिकित्सा तथा कामगार वर्गों का बेहतर कौशल विकास हो सकेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 3100.00 लाख प्रस्तावित है।

ख) मुख्यमंत्री डैश बोर्ड – इस परियोजना के तहत् माननीय मुख्यमंत्री अपने डैशबोर्ड (Dashboard) से सभी विभागों/जिलों/प्रखण्डों की परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण कर सकेंगे। इससे राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा आसानी से हो सकेगी। इस निमित्त मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पोर्टल

तैयार कर ली गयी है तथा STQC Testing प्रक्रियाधीन है। साथ ही, Content Management की कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में **रु0 150.00 लाख** प्रस्तावित है।

ग) आई0टी0/आई0टी0 आधारित सेवाएँ (परामर्शी) – इस परियोजना के लिए मेक इन इण्डिया (Make in India) कार्यक्रम के तहत् ईज ऑफ डूविंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के क्षेत्र में झारखण्ड में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 इनवेस्टमेंट प्रोमोशन (IT/ITeS Investment promotion) को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत स्ट्रेटजी एण्ड एक्शन प्लान (Strategy and Action Plan) बनाना, डिमांड एसेसमेन्ट (Demand Assessment) बनाना तथा रोडशो एण्ड मार्केटिंग (Roadshow & Marketing) इत्यादि कार्य संपादित किये जाने हैं। वर्त्तमान में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 **300.00 लाख** प्रस्तावित है।

घ) साईबर सिक्युरिटी (Cyber Security) – यह झारखण्ड सरकार द्वारा संपोषित परियोजना है। इस परियोजना के तहत् झारखण्ड सरकार द्वारा परिचालित कम्प्यूटर, पोर्टल इत्यादि को सुरक्षित किया जा रहा है। इसके साथ–साथ झारखण्ड सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 में **रु0 1500 लाख** प्रस्तावित है।

च) सिटी वाई–फाई (City Wi-Fi) – इस परियोजना के तहत् सभी 24 जिला मुख्यालयों को वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायगी। इस क्रम में BSNL से प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। इसके वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 135 Wi-Fi Hotspot अधिष्ठापित किये जायेगें। वित्तीय वर्ष 2018–19 में **रु0 100 लाख** प्रस्तावित है।

छ) इंक्यूबेशन/इनोवेशन सेंटर – इस परियोजना के तहत् राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजो/प्रबंधन संस्थानों एवं अन्य महाविद्यालयों में कुल 05(पांच) Incubation centers की स्थापना की जायेगी। साथ ही, राँची में Jharkhand Innovation Lab की स्थापना IIM, Ahmedabad के सहयोग से की जा चुकी है तथा भवन renovation का कार्य प्रगति पर है। इस तरह कुशल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सकता है। वर्त्तमान में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 **600.00 लाख** प्रस्तावित है।

ज) वाई–फाई हॉट स्पॉट एल0डब्लूई0 प्रभावित क्षेत्र : गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टीभिटी देश भर में प्रदान करने के निमित्त योजना की स्वीकृति दी गई है। राज्य में इसके लिए 782 साइट्स को चयनित किया गया है। उक्त क्षेत्रों में मोबाईल टावरों को खड़ा करने के लिए बी.एस.एन.एल. को अधिकृत किया गया है। अब तक लगभग सभी मोबाईल टावर कार्य कर रहे है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थलों को हाई स्पीड इन्टरनेट केन्द्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय ग्रामीण निवासियों को लाभ होगा। साथ ही, डिजिटल इंडिया एवं कैशलेस झारखण्ड अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। इस निमित्त BSNL को कार्यदेश निर्गत किया जा चुका है। साथ ही, प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित अग्रिम राशि भी उपलब्ध करा दी गयी है। इस वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 **1800.00 लाख** प्रस्तावित है।

झ) कॉमन डक्ट पॉलिसी : दिनांक 11.03.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता एवं चेयरमैन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की उपस्थिति में आयोजित बैठक में Common Duct Infrastructure Policy देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना के तहत् एक Common Duct Infrastructure को विकसित किया जाएगा ताकि सभी TSPs/IPs को अपने OFC को इसके अन्दर से बिछा सकते हैं। पहले चरण में इसे देवघर शहर में लागू किया जाएगा। TCIL द्वारा देवघर के लिए Feasibility report समर्पित किया गया है, TCIL द्वारा इसके implementation हेतु दो विभिन्न models suggest किए गए है। विभाग द्वारा EoI float की जा चुकी है। मंत्रीपरिषद से परियोजना के अनुमोदन हेतु प्रक्रिया चल रही है। मंत्रीपरिषद से अनुमोदन के उपरांत परियोजना का कार्य शुरु किया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **रु0 200 लाख** प्रस्तावित है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उक्त परियोजनान्तर्गत कुल रुपये **9203.34 लाख (OSP–4703.34, TSP–4500)** वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित किया गया है।

[B] नई योजनाएँ (राज्य योजना)

1. **जेसेक भवन का निर्माण–** जेसेक से नये भवन के निर्माण हेतु कुल रु0 12.56 करोड़ का आकलन कर प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उक्त परियोजना हेतु मेसर्स चड्ढा एवं एसोशियेट्स को आर्किटेक्ट चयनित किया गया है। उक्त भवन का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **रु0 300 लाख (TSP)** प्रस्तावित है।

[C] केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

1. **एन0ई0जी0पी0 (NeGP) परियोजनाएँ**

क. **स्टेट डाटा सेन्टर :** स्टेट डाटा सेन्टर भारत सरकार द्वारा संपोषित परियोजना है। इस परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा 46.92 करोड़ रु0 की राशि स्वीकृत है। यह कार्य जैप–आई0टी0 द्वारा कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशियों सहित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मद में कुल 11 करोड़ रु0 दी गई थी, जिसे जैप–आई0टी0 को उपलब्ध करा दिया गया है।

ख. **एस0एस0डी0जी0 (SSDG) :** एस0एस0डी0जी0 (SSDG) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन जैप–आई0टी0 द्वारा कराया जा रहा है। इसके तहत् झारखण्ड का नया पोर्टल विकसित किया गया है। इससे झारखण्ड सरकार को नया एवं आकर्षक ऑनलाईन चेहरा मिला है। इसके मुख्यतः तीन अवयव स्टेट पोर्टल, मिडिल टियर ऑफ सर्विस डिलिवरी गेटवे (State Portal, Middle Tier of Service Delivery Gateway) एवं e-forms हैं।

ग. **केपिसिटी बिल्डिंग (Capacity Building) :** इस परियोजना का उपयोग विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल विकास हेतु किया जा रहा है।

घ. **ई0–डिस्ट्रीक्ट (पॉयलेट स्टेट वाईड रॉल आऊट) :** ई0–डिस्ट्रीक्ट राष्ट्रीय ई0–शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जो बुनियादी प्रशासनिक इकाई को समर्थन प्रदान करता है। यह G2C सेवाओं के समग्र विकास में सहायता प्रदान करता है। यह तीन बुनियादी स्तंभों (SWAN, CSC &

SDC) के लाभ से आम सेवा केन्द्र (प्रज्ञा केन्द्र) के माध्यम से नागरिकों को सेवा उपलब्ध कराने के के लिए बैकएंड कम्प्यूटरीकृत सेवा प्रदान करती है। इस परियोजना के तहत् झारखंड राज्य में राँची जिला को पॉयलट के तौर पर चयन किया गया था। राँची जिला में इसके सफल क्रियान्वयन के पश्चात् राज्य के सभी 23 अन्य जिलों में इसे लागू किया गया है।

ङ. **Common Service Center (CSC) -** झारखंड सरकार ने पीपीपी मॉडल पर आई.टी. मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य सेवा केन्द्र, एनईजीपी के तहत लागू कर रहा है। झारखण्ड में कॉमन सर्विस सेंटर प्रज्ञा केन्द्रों के रूप में ब्रांडेड किया गया है। लक्ष्य–कुल 4562 सभी 5 संभाग के सभी पंचायतों में। उद्देश्य–एक प्रज्ञा केन्द्र जाति प्रमाण पत्र, गैर भार प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, भू–अभिलेख आदि के रूप में सरकारी सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण था। इन सेवाओं के साथ–साथ नागरिक रेलवे टिकट बुकिंग, स्कूल बोर्ड परीक्षा परिणाम, Agricultural परामर्श, बीमा उत्पादों की खरीद, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल फोटोग्राफी आदि जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

उपर्युक्त परियोजनाओं सहित अन्य परियोजनायें यथा प्रज्ञा केन्द्र इत्यादि भी क्रियान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **रु0 400 लाख** (Central Share-200-OSP, State Share-OSP-200) प्रस्तावित हैं।

[D] **<u>स्थापना व्यय</u>** : वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न मदों में कुल **रु0 172.57 लाख** (OSP) प्रस्तावित हैं।

01–वेतन एवं भत्ते	
01–वेतन	12892000
03–मजदूरी	990000
12–छुट्टी यात्रा रियायत	250000
02–यात्रा भत्ते	
13–देशीय यात्रा भत्ता	550000
03–प्रशासनिक व्यय	
15–कार्यालय व्यय	700000
17–मशीन एवं उपकरण	300000
19–मुद्रण	75000
33–दूरभाष	150000
37–विद्युत व्यय	400000
04–मोटरगाडियाँ/ईंधन	
40–मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	900000
07–अन्य व्यय	
60–विधि प्रभार	50000
कुल	**17257000**

माँग संख्या 45 के तहत् कुल रु0 191.7257 करोड़ प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

वित्तीय वर्ष 2018–19

(लाख में)

S.N	Schemes	Outlay	OSP	TSP	SCSP
A.	**Continuing Schemes (State Plan)**				
1	IT Publicity	**100**		**100**	
2	IT Department Establishment	**22.27**		**22.27**	
3	Computerization of Govt. Deptts	**2056.18**	**1056.18**	**1000**	
	WAMIS-200				
	SMS Gateway-66.18				
	Payment Gat.-50				
	OAS-15				
	OASYS-6				
	CMO-50				
	Web-Cast-60				
	VC-20				
	e-Vidhan-1000				
	myGovPMU-7				
	IFMS-200				
	UDR-100				
	ASA(UID)-282				
4	Grant-in-Aid to JSAC	**149.8**		**149.8**	
5	Skill Development (Programme for youth)	**50**		**39.6**	**10.4**
6	STPI	**1000**	**1000**		
7	e-Procurement	**7.2**	**7.2**		
8	e-Office	**490**	**200**	**290**	
9	Maintenance of Data Centre, LAN, Portal (165.55) and SWAN (JharNet-5008)	**5173.55**	**2500**	**2673.55**	
10	Grant-in-Aid to JAP-IT	**38.16**		**38.16**	
11	**Projects of GIS & Remote Sensing -** (Digital Survey -9.5)	**9.5**	**9.5**		
12	**State e-Governance Projects -**	**9203.34**	**4703.34**	**4500**	
	Common Duct-200				
	Enterprenureship Development Fund-100				
	Rural Wi-Fi &Bharat Net-3100				
	CM Dashboard-150				
	IT/ITES Consultancy-300				
	Cyber Security-1500				
	DeGS Empowerment-1100				
	DigiDhan Mission-50				
	City WiFi-100				
	Innovation/Incubation Centre-600				
	LWE Wifi Hotspot-1800				
	Jhar Sewa-204				
B.	**New Schemes (State Plan)**				
1	Construction of JSAC New Building	**300**		**300**	
C.	**Schemes under Central Assistance to State Plan(SCASP)**				
1	**National e-Governance Action Plan (NeGAP) (Central Share 50 : State Share 50) -** (SDC-462, CSC-900, SSDG-110.31, Capacity Build.-200, e-Dist.-600)				
	Central Share	**200**	**200**		
	State Share	**200**	**200**		
	Total	**19000**	**9876.22**	**9113.38**	**10.4**
D.	**Establishment Expenditure**	**172.57**	**172.57**		
	Grand Total	**19172.57**	**10048.79**	**9113.38**	**10.4**